न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर........26......./2017-18 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 (15)

अनुवानः– राज्य सरकार बनाम ....तोलाराम........

निर्णय

दिनांकः–.16./5./18

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ....लिखमीसर उतरादा......अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश कि है कि गैर सायल......तोलाराम...... पुत्र/पत्नि श्री ....गणपत राम........जाति ...जाट....निवासी...लिखमीसर उतरादा... द्वारा ग्राम ...लिखमीसर उतरादा.......के अराजी खसरा नम्बर ....319.... तादादी....3.93....हैक्टेयर किस्म भूमि...गै.मु. गोचर....भूमि में से...0.0166....हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि पर सम्वत् ....2074.....में नाजायज....बाड़ा बनाकर.........अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अत इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 अन्तर्गत नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत तामिल कराया गया। गैर सायल द्वारा निम्ना जवाब नोटिस पेश किया। ग्रामों को गलत आधारों पर नोटिस दिया गया है वर्णित भूमि पर घनी आबादी बसी हुई है। नोटिस कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप फरमाई जावे।

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर ....बाड़ा बनाकर.... अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई सन्तोषजनक जवाब/सबूत प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल ....तोलाराम.... खसरा नम्बर....319.......तादादी....3.93.......हैक्टेयर ...गै.मु. गोचर.....का उक्त से ...0.0166.....हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। अतः गैर सायल ....तोलाराम.....अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अतः गैर सायल .....तोलाराम.........पुत्र/पत्नि श्री ....गणपत राम.... जाति....जाट.......निवासी....लिखमीसर उतरादा....को ग्राम ....लिखमीसर उतरादा.... के खसरा नम्बर ....319.......तादादी....3.93.......हैक्टेयर गै मु ...गोचर... भूमि में से ....0.0166.....हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि का सम्वत् ....2074....का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान ....0.02.... रूपये का 50 गुणा से ....1=00.... रूपये शास्ती आरोपित की जाती है।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बदखल करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक ....16.5.18.... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजिलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।